

प्रेषकः

संख्या-३५० / १८-५-००-०(एस.पी.) / ९६

झार जे० एन० चैम्बर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संवय में

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-५।

विषय:- शासकीय सामग्री क्षय में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति को तीन दर्जों के लिये और द्वाया जाना।

लखनऊ : दिनांक 25 अगस्त, 2009

महोदय

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने एवं अधिक से अधिक पूजी विनियोजन को आकर्षित करने तथा प्रदेश को विकास की ओर ले जाने और प्रदेश की लघु एवं कुटीर इति के उद्देश्य से मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति के शासनादेश संख्या-१२५१/ १८-५-०६-७(एस.पी.)/४५, दिनांक २२ सितम्बर, २००८ को शासनादेश संख्या-७०८/ १८-५-०३-७(एस.पी.)/३५, दिनांक ११ जून, २००३ में किये जाने का नियम शासन द्वारा लिया गया है।

२- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-६-५६०/ दस-२००९, दिनांक 25 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

झार जे० एन० चैम्बर

प्रमुख सचिव।

संख्या-३५०(१) / १८-५-००-०(एस.पी.) / ९६, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त

प्रिभागाध्यक्ष/ कर्त्तव्याध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

२- महालेखाकार(आडिट) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ समस्त विभागाध्यक्ष/ कर्त्तव्याध्यक्ष, उत्तर प्रदेश/ अधिकारी निदेशक, उद्योग बन्धु को बेस्काइट पर अपलोड किये जाने के संदर्भ में प्रेषित।

३- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग(सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-१) को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया समस्त

निगमों/ उपकारी को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।

४- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उप्रेऽ, इलाहाबाद।

५- दिल(थय-नियंत्रण) अनुभाग-६/ दिल(लेखा) अनुभाग-१।

६- समियालय के समस्त अनुभाग/ गार्ड फाइल।

७- भुख लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी संशितियों एवं पंचायतें, उप्रेऽदिविरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

आद्या से,

—१८—  
(दया शक्ति सिंह)

अनु सचिव।

प्रधक,

गोविन्दन नायर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

रोना में,

आयुक्त एवं निदेशक उच्चोग,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उच्चोग अनुभाग-5

लखनऊः दिनांकः २१ सितम्बर, 2006

विषयः- शासकीय सामग्री क्षय में प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति को तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जाना।

मानोदध,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर, उपलब्ध करने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासन-दिश संख्या-706/18-5-2003-9(एस0पी0)-95, दिनांक 11 जून, 2003 द्वारा शासकीय सामग्री क्षय में प्रादेशिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च 2006 तक निर्धारित थी। उक्त क कम म आपक पत्राक 3128/7-एसपीएस/एफ-समीक्षा बैठक/2006, दिनांक 21 जुलाई, 2006 में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक् विचारोणरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 जून, 2003 द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति को दिनांक 31-3-2009 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ई-6-799/06 दिनांक 21-9-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

अनुभाग-5 (एस0पी5).

+ 25/8/2006

4-एस-10 (एस0पी1)

संख्या 80 प्र०

2006

★ 16/10/06 393/प्र०

भवदीय,  
गोविन्दन नायर,  
प्रमुख सचिव।

प्र०/१०

५५/१० (एस0पी5)  
27/10/06  
२५.१०.०६

E+F

१००

२१९

14  
27/10/06

प्रेषक,

जी०पटनायक,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग—5

लखनऊःदिनांक 11 जून, 2003

**विषय:** शासकीय सामग्री क्य में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्य वरीयता की नीति को तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या—73 / 18—5—2000—9(एस.पी.) / 95, दिनांक 18 जनवरी, 2000 द्वारा शासकीय सामग्री क्य में प्रादेशिक इकाइयों को मूल्य वरीयता/क्य वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च, 2003 तक निर्धारित थी। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक 10502 / एसपीएस / टी—7 / एफ / 12(11) / मू०वी / क०वरी० / 2003, दिनांक 29 जनवरी, 2003 में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 2000 द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता/क्य वरीयता की नीति को पूर्व के अनुभवों तथा परिवर्तित आर्थिक परिवेश में सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं प्राविधान प्रतिपादित करते हुए नवीन संशोधित नीति निम्नवत निर्गत करने का निर्णय लिया है।

पूर्व की भाँति शब्दावली “मूल्य वरीयता” से तात्पर्य मात्रा अनुबन्ध में दी जाने वाली वरीयता से होगा। इसी प्रकार “क्य वरीयता” से तात्पर्य दर अनुबन्ध के अन्तर्गत दी जाने वाली वरीयता से होगा।

### **1—प्रदेशीय इकाइयों को मूल्य वरीयता की नीति :-**

1. दरों की तुलना बिक्रीकर रहित एफ०ओ०आर० डेस्टीनेशन के आधार पर की जायेगी।
2. प्रदेश के लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की लघु एवं कुटीर इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
3. प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की वृहद एवं मध्यम इकाइयों के सापेक्ष 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
4. प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के मध्यम एवं वृहद इकाइयों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
5. प्रदेश की मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहद इकाइयों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

## 2— प्रदेशीय इकाइयों को क्य वरीयता की नीति :-

1. जिन उत्पादों के सम्बन्ध में प्रदेश में पर्याप्त आई0एस0आई0 क्षमता उपलब्ध है, उनके आई0एस0आई0 मार्क उत्पादों को ही क्य किया जाय। ऐसे आइटम्स जिनके आई0एस0आई0 मार्क उपलब्ध नहीं हैं, उनके क्य किये जाने हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में वस्तु की गुणवत्ता का मानक निर्धारित कर दिया जाय।

(क) प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर के सभी प्रकार की इकाइयों यदि किसी निविदा में भाग लें और प्रदेश के बाहर की इकाइयों की दरें न्यूनतम हों, तो उक्त परिस्थिति में प्रदेश के बाहर की न्यूनतम दर देने वाली इकाई एवं प्रदेश की 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली ऐसी इकाइयों जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(ख) प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर की सभी प्रकार की इकाइयों निविदा में यदि भाग लें तथा प्रदेशीय इकाई की दर न्यूनतम हो तो उक्त परिस्थिति में इस न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली सिर्फ प्रदेशीय इकाइयों जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(ग) यदि किसी निविदा में केवल प्रदेशीय इकाइयों ही भाग लें तो प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली इकाइयों जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(घ) जिन निविदाओं में प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर की इकाइयों भाग लें तथा प्रदेश के बाहर की इकाई की दर न्यूनतम हो एवं कोई भी प्रदेशीय इकाई 10 प्रतिशत अधिक दर की सीमा की परिधि में न आती हो तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के बाहर की इकाइयों में से न्यूनतम दर कोट करने वाली इकाई को तथा उस दर पर आपूर्ति की सहमति देने वाली अन्य इकाइयों को आवश्यकता अनुसार अधिसूचित किया जाय।

(च) दर अनुबन्ध में इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना व्यापार कर रहित दरों पर की जायेगी।

(छ) दर अनुबन्ध करते समय यदि किसी ऐसी निविदा जिसमें केवल प्रदेश के बाहर की इकाइयों भाग लेती हैं तो उनमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई की तुलना में 10 प्रतिशत क्य वरीयता अन्य बाहरी इकाइयों को दी जायेगी। क्य वरीयता का तात्पर्य यह है कि न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर रेंज में आने वाली इकाइयों यदि न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हों, तो उन्हें दर अनुबन्ध में समिलित कर लिया जायेगा। यह सुविधा उन निविदाओं में उपलब्ध न होगी जिसमें प्रदेश की कोई इकाई भाग लेती है।

3— राज्य सरकार के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के अधिष्ठानों यथा निगमों/परिषदों आदि का सामग्री क्य नियमों के अन्तर्गत दर अनुबन्ध पर क्य की सुविधा शासनादेश संख्या—878(एस0पी0)18—10—66(एस0पी0)/72 दिनांक 24 अक्टूबर, 1973 द्वारा पूर्व में ही प्रदत्त हैं, जिसके तहत उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध में अधिसूचित फर्म में उक्त अधिष्ठानों को भी सामग्री आपूर्ति करने के लिए बाध्य है। यह नीति पूर्ववत रहेगी।

4— मूल्य वरीयता/क्य वरीयता की यह नीति दि 031 मार्च, 2006 तक लागू रहेगी।

5— मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति का पालन करते समय टेण्डर इत्यादि के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या—ई—6—573 / दस—03, दिनांक 10 जून, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,  
(जी० पटनायक)  
सचिव

संख्या 706 (1) / 18—5—03—9(एस०पी०) / 95 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
2. महालेखाकार (आडिट) प्रथम/आडिट द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उ०प्र०।
4. सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग—1 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया समस्त निगमों/उपकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।
5. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ०प्र० इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—6 / वित्त (लेखा) अनुभाग—1
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग
8. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें,उ०प्र० इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से

( राजनाथ )  
अनु सचिव

11/2010-336 / 18-2-2010

प्रैथमिक  
या १० जेप्टर्न० संख्या  
प्राप्तुल संपत्ति  
उत्तर प्रदेश शासन।

समक्ष प्रसुध संविद्/संधिय,  
उत्तर प्रदेश शासन।

२०१ वर्षाया अनुसार-२

ਲਾਖ ਮੁੜ੍ਹ: ਦਿਨਾਂਕ: 26 ਫਰਵਰੀ, 2010

शिवय-टेट्टर) कोटेशन की रुप प्रक्रिया में आग सेने वाली फॉर्म/प्रसिद्धानी की दरों की तुलना में केवल विकासकर रहिए हीं पर किया जाना चाहिए। इन फॉर्म/प्रत्यक्षान के प्रदर्शन विभिन्न रूप से विकास करने वाली अनेक फॉर्म/प्रसिद्धानी की अनेकार्थीता होता है।

भलेदय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि ट्रेडर/फोटोशॉन की कप प्रक्रिया ने निमित्त कर लिया है एंजीकूट फॉर्म/प्रस्तुतियों परा ही भाग क्षेत्र जाने तथा जारीनिय ट्रेडर/फोटोशॉन में दरों की तुलना विकेटर रहित(विट रहित) दरों के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में उपर्युक्त अनुभाग-5 के शासनदेश संख्या-706/18-5-2003-१(एसटी)/१९५ दिनांक ११-६-२००३ के विनु एंडव्हा-१(१) में दरों की तुलना विकेटर रहित (विट रहित) दरों के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है, जिन्हुंने अतिरिक्त दिसम्बर तक ट्रेडर/फोटोशॉन की क्षय प्रक्रिया में उक्त कप नियमों का पूर्णतः लागत वर्गीकृत जाता है, जो उचित/नियमनकूल नहीं है।

२- जल्द ही संक्षय में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि टेलर/खेटेशन को कम प्रक्रिया में जान देने वाली कैबल उच्ची कर्म/प्रतिष्ठानों के टेलर, कोटेशन स्वीकार किये जाये व आपूर्ति जारी किये जाये जो ३० प्र० बोरिस्प का विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हो। अपारा अन्य प्रश्नों की पास, अधिकारी भी रिपोर्ट में लान्चमेंट प्रोसेस ने नेत्रीप निर्सीटर डिपिा�्टमेंट के अन्तर्गत पंजीकृत हो। राय ही साथ आवंत्रित टेलर/कोटेशन में दरों की एकल संरक्षण और संस्कार के काल्पन (परामिति) तापू वैट/केम्ब्रिय विक्रीकर रहित है।

३- कृष्ण उत्तर जादेशी का कदाह से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ समल-विभागों, कार्यालयों, प्रशन्थ निदेशक/मुख्य कार्यालय/अधिकारी/कार्यालयी/अधिकारी/समल सार्वजनिक उपकरण/नियम/स्थिरपद/प्राक्षिकरण/स्वापतताती सत्याजी की शासनादेश के अनुपालन हेतु स्पष्ट निर्देश भेजी फाने का कद्द करें।

उमस लादेशो का सुलतन विस्तीर्ण अग्रियमितता की श्रेणी में आयेगा भवदीय,

संख्या-९३६(१)/१८-२-२०१०-संघिनाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सम्बन्धीय पर्याप्त असाधारण कार्ययाही हेतु प्रेषित:-

- आमुखा एवं निरेशक सद्योगा, उत्तर प्रदेश, यामनपुर।
  - समस्त मण्डलामुखा / निलायिकाएँ, उत्तर प्रदेश।
  - ग्रामसेवाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

Date of Receipt 12.11.2009 No. 1696B

Through: Council / नगरपालिका / Other / अन्य

प्रेषकः

आयुक्त एवं निदेशक उद्धोग उ०प्र०,  
सामग्री कथ अनुभाग-7 कानपुर।

संवाद में

1—समस्त विभागाध्यक्ष,  
कार्यलयाध्यक्ष उ०प्र०।

2—प्रधान निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
समस्त शासकीय नियन्त्रणाधीन निगम / परिषद्  
प्राधिकरण / स्थायन्त्रशासी संस्थाये उ०प्र०।

पत्रांक

/ रेसपोर्टर्स-7 / एफ/ 09-10

काल्पनिक 2009

विषय:— शासकीय सामग्री के कथ में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वरीयता / कथ वरीयता उपलब्ध कराय जाना।

महोदय,

इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उ०प्र०, द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में बताया गया है कि सभी सरकारी विभागों / निगमों / उपकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों / उत्तरकरणों का कथ बड़ी मात्रा में किया जाता है। पूर्व में प्रदेश की इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की अपेक्षा मूल्य वरीयता / कथ वरीयता उपलब्ध थी किन्तु वर्तमान में विभागों / निगमों / उपकरणों द्वारा निविदाओं के अधार पर न्यूनतम मूल्य पर कथ किया जा रहा है जिसमें उनके भासली में प्रदेशीय इकाइयों को मूल्य कम होने पर भी उनकी नियिदा इस कारण स्थीकार नहीं हो चाही है कि प्रदेश के बाहर की इकाइयों को केवल 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्रीकर देना होता है जबकि प्रदेश की इकाइयों को उनके मूल्य पर 13.5 प्रतिशत कर व अतिरिक्त कर देना पड़ता है। फलस्वरूप अस्तु का मूल्य कम होने पर भी प्रदेश के इकाइ का नियिदा मूल्य अधिक हो जाता है। अनुरोध किया गया है कि प्रदेश की व प्रदेश के बाहर की इकाइयों के निविदा मूल्य की तुलना के द्वारा विकी कर व प्रदेशीय बैट घटाने के पश्चात किया जाये।

2—पूर्व में शासनादेश संख्या 560/18-796-9(एस०पी०)/३४ दिनांक २६.७.८ द्वारा शाज्य सरकार की कथ वरीयता व मूल्य वरीयता नीति घोषित की गयी थी बाद में समय समय पर उक्त शासनादेशों की निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये जाते रहे हैं। शासनादेश संख्या 73/18-5-2000-9 (एस०पी०)९५ दिनांक १८.०१.२००० द्वारा पुनः उक्त निर्देशों का पालन करने के निर्देश जारी किये गये जिसके अनुसार प्रदेश की इकाइयों को मूल्य वरीयता / कथ वरीयता नीति के अन्तर्गत निम्न सुविधाएँ दी गयीं।

क— दर्दी की तुलना विकी कर रहित एफओआर डेस्टीनेशन के आधार पर की जायेगी।

ख— प्रदेश की लद्दू इकाइयों को प्रदेश के बाहर की लद्दू इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत तथा प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहत् इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत तथा प्रदेश की मध्यम एवं वृहत् इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

२— प्रदेश की मध्यम यृहत् इकाइयों को प्रदेश के बाहर की वस्त्राम एवं यृहद् इकाइयों के सापेक्ष ५ प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

३— प्रदेश की लद्य एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की तुलना में १० प्रतिशत क्य वरीयता दी जायेगी। यदि प्रदेश की लद्य एवं कुटीर इकाइयों का मूल्य बाहर की इकाइयों की अपेक्षा १० प्रतिशत अधिक है तो उनको यह सुविधा दी जायेगी कि निविदा खुलने के बाद न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने पर सहजति दे। यदि किसी निविदा में प्रदेश के बाहर की इकाइयों ही आग लेती हैं तो प्रदेश के बाहर की इकाइयों को भी क्य वरीयता का लाभ अनुपालन होगा।

३— शासनादेश सं० ७०६ दिनांक ११.०६.०३ तथा सं० १२६१ दिनांक २२.०९.०६ द्वारा जारी मूल्य वरीयता क्य वरीयता नीति को शासनादेश सं० ९५०/१८-५-०९-९(एस०पी०)/९५ दिनांक २५.०८.०९ द्वारा अधिक॑३ घरों के लिये पुनः बढ़ा दिया गया है। उक्त शासनादेशों की प्रति अनुपालन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि क्य वरीयता/मूल्य वरीयता के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शासकीय निर्देशों को अकारण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक—यथोक्ति।

भवदीय,

(नियुक्ति नाथ शुक्ला)

संयुक्त निदेशक उद्योग(क्य)

कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ०प्र०।

सं० ७६२— तद दिनांक ॥ ११.८०९

प्रतिलिपि नियुक्ति विवरित को सम्मान एवं आवश्यक कार्यालय हेतु प्रेषित।

१— अधिशासी निदेशक उद्योग बम्बु १२ माल एवन्यु लखनऊ को उनके पत्र सं० १०७००/एन० ११०८००/०९-१०/आई०आई०८/३५८ दिनांक अक्टूबर ३०.२००९ के सन्दर्भ में।

२— अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन आई०आई०८ भवन विभूति खण्ड शौमती मगर लखनऊ।

(नियुक्ति नाथ शुक्ला )

संयुक्त निदेशक उद्योग(क्य)

कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग उ०प्र०।

प्रेषक,

आयुक्ता, एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०,  
सामग्री क्य अनुभाग-७,  
मुख्यालय, कानपुर

रोदा में,

अधिशार्थी निदेशक,  
इण्डियन इंडरस्ट्रीज एसोसिएशन,  
आई०आई०ए० भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,  
लखनऊ-226010।

पत्रांक ५१४ /७-एसपीएस/

दिनांक : कानपुर : १०-९ अक्टूबर ०९

विषय :- सरकारी विभागों व सरकारी उपकरणों/निगमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की दरों के मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरण में यू०पी० वैट/केन्द्रीय बिकी कर को छोड़कर मूल्य को आधार मानने हेतु निवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या २बी/७८८३ दिनांक २०-०८-०९ का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो सरकारी विभागों व सरकारी उपकरणों/निगमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की दरों के मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरण में यू०पी० वैट/केन्द्रीय बिकीकर को छोड़कर आधार मानने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशालय के समाग्री क्य अनुभाग में आमंत्रित सभी निविदाओं में वस्तुओं की दरों का मूल्यांकन वैट/केन्द्रीय बिकीकर को छोड़कर तैयार किए गये विवरण के आधार पर ही किया जाता है।

भवदीया,

रीता विशाल

संयुक्त निदेशक उद्योग(क्य)  
कृते-आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ०प्र०।

प्रधान,

गोविन्दन नाथर,  
प्रभुत्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

रोमा मे,

आयुक्त प्रदेशक उद्योग,  
उत्तर प्रदेश कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-५

लखनऊः दिनांकः २२ सितम्बर, २००६

विषयः- शासकीय सामग्री क्षय में प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्षय वरीयता की नीति को तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि औद्योगिक उद्योगिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-७०६/१८-५-२००३-९(एस०पी०)-९५, दिनांक ११ जून, २००३ द्वारा शासकीय सामग्री क्षय में प्रादेशिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/ क्षय वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक ३१ मार्च २००६ तक निर्धारित थी। उक्त के क्रम म आपक पत्रांक ३१२४/७-एसपीएस/एफ-समीक्षा बैठक/२००६, दिनांक २१ जुलाई, २००६ में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक ११ जून, २००३ द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता/क्षय वरीयता की नीति को दिनांक ३१-३-२००९ तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

२- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या- ५-६-७९५/०६ दिनांक २१-९-२००६ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

एस०पी० (SPS).





भवदीय,

*G. Khan*  
(गोविन्दन नाथर)  
प्रभुत्त सचिव।

एस०पी० (G.P.S.)

८११/११)

E+F)



प्रतिलिपि (।) / १३५ / २००६.२(०५०५०) : २५ अक्टूबर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- समस्त प्रयुक्त गविव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से ग्रेजित की वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों का शासनादेश अनुगामन हेतु सायक निर्देश अपने गतर से जारी करें।
- २- महालेखाकार (आडिट) प्रथम /आडिट दिव्याय, ३०५०, इलाहाबाद।
- ३- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- ४- सचिव, सार्वजनिक उथम अनुभाग-१ को इस आशय से ग्रेजित कि व कृपया समस्त निगमों/उपकर्मों को शासनादेश के अनुगामन हेतु निर्देश जारी करें।
- ५- निर्देशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, ३०५० इलाहाबाद।
- ६- वित्त (अय नियंत्रण) अनुभाग-६ / वित्त (लेखा) अनुभाग-१।
- ७- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- ८- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायतें, ३०५०, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(श्रीराम जयन्त)

उप सचिव।

*कानूनी विवरण*

संख्या- 190 / 13-5-2004-7165/99

प्रेषक,

वी0के0 दीदारन,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

(132)

सेवा में,  
उद्योग निदेशक,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,

उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।

विवरण (विवरण)

समर्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

आवश्यक

कानूनी विवरण

कुनै विवरण

महादेव

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपाल; अधिकारी, समर्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद  
/प्राधिकरण/स्वायतंशासी संस्थाएं, उत्तर प्रदेश।

लघु उद्योग अनु०-५

रिक्त

26  
दिनांक: मार्च, 2004

विषय: लघु उद्योग इकाईयों से सामग्री क्य हेतु भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आरक्षित किए गए 358 आइटम्स को क्य में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किए जाने एवं प्रदेश सरकार के क्षय संबंधी आदेशों का अनुपालन किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय विकास आमुक्त (लघु उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार के अर्जशास्त्रोपत्रों-22(1)/2003/ईपी एप्प एम, दिनांक 29 जुलाई, 2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा संलग्न सूची में 358 आइटम्स को लघु उद्योग इकाईयों से क्य हेतु आरक्षित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुर्तीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान एवं महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को वृष्टिगत रूप से देखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आइटम्स का क्य अनिवार्य रूप से लघु औद्योगिक इकाईयों से ही किया जाए।

2. शासन के संज्ञान में यह भी तथ्य आया है कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य दरीयता/क्य दरीयता नीति का शासन के कल्पित विभागों, राज्य सरकार के उपर्योग संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में राजस्व की द्वानि होती है तथा यह कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रृंगी में आता है। प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों की मूल्य वरीयता/क्य दरीयता प्रदान न करना केवल प्रदेश के औद्योगिक विकास में दायर ही नहीं है, वरन् पूर्व में जारी किए गए विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन है। अतः शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9 (एस.पी.)/95, दिनांक 11 जून, 2003 द्वारा प्रदेश में लागू मूल्य वरीयता/क्य वरीयता की नीति का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. मुझे यह भी कहना है कि शासनादेश संख्या-2275/18-5-98-15 (एस.पी.)/9/92दोस्ती दिनांक 07 दिसंबर, 1998 द्वारा उद्योग निदेशालय के द्वारा जनुवर्ष पर उपलब्ध सामग्री का क्य विभागीय मात्रा अनुबन्ध संख्या-2917/18-5-2000-49 (एस.पी.)/2000, दिनांक 20.12.2000 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ई से सुनिश्चित किया जाए।

4. प्रायः यह भी देखने में जाना है कि कर्तिपद्य विभाग निवेश उत्पादों की आपूर्ति हेतु विभागीय रतर पर्त किए जा रहे थाक्स अनुबन्ध में आमंत्रित निवेशाओं में इस प्रकार की तकनीजी शर्तें चया उत्पादन स्मृता य टर्न औवर आदि की शर्तें लगा देते हैं जिससे एक तरफ सभी लघु औद्योगिक इकाईयों निवेश में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं तथा दूसरी तरफ ऐला विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़े नहीं लेल पाता है। अतः इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्तें न लगाई जाएं जिससे लघु औद्योगिक इकाईयों यूर्ध्व लप से प्रतिस्पर्धा से बाहर रह जाएं। ऐसी शर्तों का फ़ैगादा लगाना लघु उद्योगों के प्रति शेद नाच, शासकीय रूप नीति का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेष्ठी में जाएगा। यह व्यवस्था उन आइट्स पर नहीं लागू होगी जिसके पर्याप्त गुणवत्ता के एकत्र आपूर्तिकर्ता हो जिससे इस का अधिकार बजाति हुर लघु उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

5. मुझे यह भी कहना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि० का मूल उद्वेश्य प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान करना है तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भारत सरकार द्वारा निम्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:-

1. निवेदा फार्म निःशुल्क उपलब्ध किया जाना।
2. अनेस्ट मन्त्री शुगतान ते छूट।
3. पंजीकरण में अंकित वित्तीय सीमा तक जमानत की धनराशि से छूट।
4. छूट उद्योग इकाईयों द्वारा ज्ञाएँ की गई दर पर 15 प्रतिशत बर दरीचता।

इसी प्रकार ००३० लघु उद्योग निगम लि० को सुविधाएँ प्राप्त हैं तथा शासनादेश संख्या-१०९८/१८-५-२०००-७१९/९९, हिन्दौक ०१ जुलाई, २००० द्वारा समस्त सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपकरणों/पिण्डों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं त्याक्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रयोगार्थ ऐसे आइट्स जिनका उद्योग निवेशात्मक ते दर अनुबन्ध अदा मात्रा अनुबन्ध नहीं है और जिनकी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएआईटी) के एक में आरक्षण/दरीचता प्रदान की जाए।

कृपया भारत सरकार एवं सम्बद्ध सरकार की दृष्टि नीतियों के अनुसार जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुग्रहन सुनिश्चित किया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की शैली में जाएगा तथा इस प्रकार के प्रकार उपकरणीय शासन के संज्ञान में जाते हैं तो सन्दर्भित विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निवेशक/परिदेशक लंगनक: दर्शकपत्र।

भवदीय,

( श्री०९८०-दीवान )

मुख्य सचिव

संख्या- ४८५(i), १८-५-२००४-७१९/९९ तद्रिवर्णक

प्रतिलिपि संलग्नवाल सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्तव्यानु देतु प्रेषित:-

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, निगम व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुग्रहन हेतु सम्बन्धित निवेश जारी करने का कष्ट करें तथा विभागीय खरीद में इनका अनुसालन सुनिश्चित कराएं।
2. प्रमुख सचिव, सांवित्रिक उद्यम विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निगमों/उपकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निवेश जारी करने का कष्ट करें।

३. महालोक्याकार, उत्तर प्रदेश।
४. विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार को उनके पदांक-22(1)/2003-ईपी एच एम./के  
कम में सूचनार्थ प्रेषित।

नं० ०२ - १ - २०८५

आशा है,

( ज़ेहरा चट्टानी )  
लिखा।

dated

ستادیوم امارات ٢٠٠٦

प्रधान : ३६०१८-७-९४-८ (ए०९०)-१५

三

पठुन् एव तुरेणी,  
तदिदं वस्तु उच्योद विस्तारं,  
प्राप्तं वैष्णवं वाचाम् ।

四三

दिया :— अरें की लीलापुर रक्तर्थों को सूख परोदर्ता/क्षय वसीयता दिया जाता। महोदय,

४८५  
सन्धारा

उत्तरोत्तम विभिन्न परिदृश्यकों में पूर्व में आरी समस्त बाइंगों को विचित्रित, कर्त्ता-हर वास्तव हारा पूर्व/पथ

१—दुर्दी पाठि जटादली “दूस्य वरीदला” से तात्पर्य पाक अनुष्ठय में ही पाक बासी बड़ीयता ने होता। इसे अपार “मर वरीदला” ए पात्रपद अनुष्ठय से अनुरंग दी जाते बरतो वरीदला हो होता।

- (1) दरों की तुलना दिल्लीवार विहृत ७५.० प्रति १०० मार्क ३० इंस्ट्रुमेंट दरों के बाहर पर की जाएगी।

(2) पटेश के अद्य एवं कुटी १५००० रुपयों की दरेश के बाहर की तथा एवं कुटी इकाईयों की तुलना १०० इंस्ट्रुमेंट मूल्य वरीयता ही जारीगी।

(3) पटेश के सभूत एवं कुटी इकाईयों की पटेश के बाहर की तथा ५५ अण्डाम इकाईयों के तारेश प्रतिशत मूल्य वरीयता ही जारीगी।

(4) अरेश की तथा एवं कुटी इकाईयों की पटेश की पटेश की पटेश एवं वृहत् ५५ अण्डाम इकाईयों के तारेश ५ प्रतिशत मूल्य वरीयता ही जारीगी।

(5) पटेश की तथा एवं कुटी इकाईयों की पटेश की पटेश की पटेश एवं वृहत् इकाईयों के तारेश ५ प्रतिशत मूल्य वरीयता ही जारीगी।

(6) पटेश की तथा एवं कुटी इकाईयों की पटेश की पटेश की पटेश एवं वृहत् इकाईयों के तारेश ५ प्रतिशत मूल्य वरीयता ही जारीगी।

(1) यदि प्राप्तेण १७० प्राप्तेण वर्तमानों को प्रतीक्षा दी जाए तो व्यापरवहन है तो व्यापरवहन इस प्रकार



(273)

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE  
INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR.

- | Sl.No. | Item Description  |
|--------|---|
| 1.     | AAC/&ACSR Conductor upto 19 strand.   |
| 2.     | Agricultural Implements<br>(a) Hand Operated tools & implements<br>(b) Animal driven implements.                                    |
| 3.     | Air/Room Coolers  |
| 4.     | Aluminium builder's hardware  |
| 5.     | Ambulance stretcher   |
| 6.     | Anemometers/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)   |
| 7.     | Anklets Web Khaki   |
| 8.     | Augur (Carpenters)  |
| 9.     | Automobile Head light Assembly  |
| 10.    | Badges cloth, embroidered and metals  |
| 11.    | Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas & jute etc., including kit bags, mail bags, sleeping bags & water-proof bag. |
| 12.    | Bandage cloth   |
| 13.    | Barbed Wire   |
| 14.    | Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicraft Corporation).                               |
| 15.    | Bath tubs.  |
| 16.    | Battery Charger   |
| 17.    | Battery Eliminator  |
| 18.    | Beam Scales (upto 1.5 tons)   |
| 19.    | Belt leather & straps   |
| 20.    | Bench Vices   |
| 21.    | Bituminous Paints   |
| 22.    | Blotting Paper  |
| 23.    | Bolts & Nuts  |
| 24.    | Bolts Sliding   |
| 25.    | Bone Meal   |
| 26.    | Boot Polish   |
| 27.    | Boots & Shoes of all types including canvas shoes   |
| 28.    | Bowls   |
| 29.    | Boxes Leather   |
| 30.    | Boxes made of metal   |
| 31.    | Braces  |
| 32.    | Brackets other than those used in Railways  |
| 33.    | Brass Wire  |
| 34.    | Brief Cases (other than moulded luggage)  |
| 35.    | Brooms  |
| 36.    | Brushes of all types  |
| 37.    | Buckets of all types  |
| 38.    | Button of all types   |
| 39.    | Candle Wax Carriage   |
| 40.    | Gate Valves/stock valves (for water fittings only)  |

- 27/3
41. Cans metallic (for milk & measuring)  
42. Canvas Products :  
    (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70  
    (b) Bonnet Covers & Radiators Muff, to spec. Dig. Lv 7/NSN/IA/130295  
43. Capes Cotton & Woollen  
44. Capes Waterproof  
45. Castor Oil  
46. Ceiling roses upto 15 amps.  
47. Centrifugal steel plate blowers  
48. Centrifugal Pumps suction & delivery 150 mm x 150 mm.  
49. Chaff Cutter Blade  
50. Chains lashing  
51. Chappals and sandals  
52. Chamois Leather  
✓ 53. Chokes for light fitting  
54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo & Cow)  
55. Circlip's  
56. Claw Bars and Wires  
57. Cleaning Powder  
58. Clinical Thermometers  
59. Cloth Covers  
60. Cloth Jacquet  
61. Cloth Sponge  
62. Coir fibre and Coir yarn  
63. Coir mattress cushions and matting  
64. Coir Rope hawserlaid  
65. Community Radio Receivers  
✓ 66. Conduit pipes  
67. Copper nail  
68. Copper Napthenate  
69. Copper sulphate  
70. Cord Twine Maker  
71. Cordage Others  
✓ 72. Corrugated Paper Board & Boxes  
73. Cotton Absorbent  
74. Cotton Belts  
75. Cotton Carriers  
76. Cotton Cases  
77. Cotton Cord Twine  
78. Cotton Hosiery  
79. Cotton Packs  
80. Cotton Pouches  
81. Cotton Ropes  
82. Cotton Singlets  
83. Cotton Sling  
84. Cotton Straps  
85. Cotton tapes and laces  
86. Cotton Wool (Non absorbent)  
87. Crates Wooden & plastic

88. (a) Crucibles upto No. 200  
(b) Crucibles Graphite upto No. 500  
(c) Other Crucibles upto 30 kgs.
89. Cumblies & blankets
90. Curtains mosquito
91. Cutters
92. Dibutyl phthalate
93. Diesel engines upto 15 H.P.
94. Dimethyl Phthalate
95. Disinfectant Fluid
96. Distribution Board upto 15 amps.
97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-  
- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders  
Room heaters & convectors and ovens.
- ✓98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminium) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section.
99. Drawing & Mathematical Instruments
100. Drums & Barrels
101. Dust Bins
102. Dust Shield leather
103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi.
104. Dyes :  
(a) Azo Dyes (Direct & Acid)  
(b) Basic Dyes
105. Electric Call bells/buzzers/door bells
106. Electric Soldering Iron
107. Electric Transmission Line Hardware like steel cross bars, cross arms clamps arching arm, brackets, etc.
108. Electronic door bell
109. Emergency Light (Rechargeable type)
110. Enamel Wares & Enamel Utensils
111. Equipment camouflage Bamboo support
112. Exhaust Muffler
113. Expanded Metal
114. Eyelets
115. Film Polythene - including wide width film
116. Film spools & cans
117. Fire Extinguishers (wall type)
118. Foot Powder
119. French polish
120. Funnels
121. Fuse Cut outs
122. Fuse Unit
123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)
124. Gas mantles
125. Gauze cloth
126. Gauze surgical all types.
127. Ghambellas (Tasslas)
128. Glass Ampules.

- 129. Glass & Pressed Wares
- 130. Glue
- 131. Grease Nipples & Grease guns
- 132. Gun cases
- 133. Gun Metal Bushes
- 134. Gumptape
- 135. Hand drawn carts of all types
- 136. Hand gloves of all types
- 137. Hand Lamps Railways
- 138. Hand numbering machine
- 139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)
- 140. Hand presses
- 141. Hand Pump
- 142. Hand Tools of all types
- 143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corp. and State Handicraft Corporation)
- 144. Harness Leather
- 145. Hasps & Staples
- 146. Haver Sacks
- 147. Helmet Non-Metallic
- 148. Hide and country leather of all types
- 149. Hinges
- 150. Hob nails
- 151. Holdall
- 152. Honey
- 153. Horse and Mule Shoes
- 154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity
- 155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)
- 156. Invalid wheeled chairs.
- ✓ 157. Invertor domestic type upto 5 kVA.
- 158. Iron (dhobi)
- 159. Key board wooden
- 160. Kit Boxes
- 161. Kodali
- 162. Lace leather
- 163. Lamp holders
- 164. Lamp signal
- 165. Lantern Posts & bodies
- 166. Lanyard
- 167. Latex foam sponge
- 168. Lathies
- 169. Letter Boxes
- 170. Lighting Arresters - upto 22 kv
- 171. Link Clip
- 172. Linseed Oil
- 173. Lint Plain
- 174. Lockers
- 175. Lubricators
- 176. L.T. Porcelain KITKAT & Fuse Grips

(26)

177. Machine Screws
178. Magnesium Sulphate
179. Mallet Wooden
180. Manhole covers
181. Measuring Tapes and Sticks
182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
183. Metal Polish
184. Metallic containers and drums other than N.E.C. (Not elsewhere classified)
185. Metric weights
186. Microscope for normal medical use
187. Miniature bulbs (for torches only)
188. M.S. Tie Bars
189. Nail Cutters
190. Napthalen Balls
191. Newar
192. Nickel Sulphate
193. Nylon Stocking
194. Nylon Tapes and Laces
195. Oil Bound Distemper
196. Oil Stoves (Wick stoves only)
197. Pad locks of all types
198. Paint remover
199. Palma Rosa Oil
200. Palmingur
201. Pans Lavatory Flush
202. Paper conversion products, paper bags, envelops, Ice-cream cup, paper cup and saucers & paper Plates.
203. Paper Tapes (Gummed)
204. Pappads
205. Pickles & Chutney
206. Piles fabric
207. Pillows
208. Plaster of paris
209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terphthalate (PET) Containers.
210. Plastic cane
211. Playing Cards
212. Plugs & Sockets electric upto 15 Amp.
- ✓213. Polythene bags
- ✓214. Polythene Pipes
215. Post Picket (Wooden)
216. Postal Lead seals
217. Potassium Nitrate
218. Pouches
- ✓219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg.
220. Privy Pans
221. Pulley Wire
222. PVC footwears
- ✓223. PVC pipes upto 110 mm.

- 224 PVC Insulated Aluminium Cables upto 120 sq mm) (ISS:694)
- 225 Quilts, Razais
- 226 Rags
- 227 Railway Carriage light fittings
- 228 Rakes Ballast
- 229 Razors
- 230 RCC Pipes upto 1200 mm dia
- 231 RCC Poles Prestressed
- 232 Rivets of all types
- 233 Rolling Shutters
- 234 Roof light Fittings
- 235 Rubber Balloons
- 236 Rubber Cord
- 237 Rubber Hoses (Unbranded)
- 238 Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
- 239 Rubberised Garments Cap and Caps etc.
- 240 Rust/Scale Removing composition.
- 241 Safe meat & milk
- 242 Safety matches
- 243 Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
- 244 Sanitary Plumbing fittings
- 245 Sanitary Towels
- 246 Scientific Laboratory glasswares (Barring sophisticated items)
- 247 Scissors cutting (ordinary)
- 248 Screws of all types including High Tensile
- 249 Sheep skin all types
- 250 Shellac
- 251 Shoes laces
- 252 Shovels
- 253 Sign Boards painted
- 254 Silk ribbon
- 255 Silk Webbing
- 256 Skiboots & shoe
- 257 Sluice Valves
- 258 Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
- 259 Soap Carbolic
- 260 Soap Curd
- 261 Soap Liquid
- 262 Soap Soft
- 263 Soap washing or laundry soap
- 264 Soap Yellow
- ✓265 Socket/pipes
- 266 Sodium Nitrate
- 267 Sodium Silicate
- 268 Sole leather
- 269 Spectacle frames
- 270 Spiked boot
- 271 Sports shoes made out of leather (for all Sports games)
- 272 Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW 440 volts 3 phase

273. Stapling machine  
274. Steel Almirah  
275. Steel bedsstead  
276. Steel Chair  
277. Steel desks  
278. Steel racks/shelf  
279. Steel stools  
280. Steel trunks  
281. Steel wool  
282. Steel & aluminium windows and ventilators  
283. Stockinet  
284. Stone and stone quarry rollers  
285. Stoneware jars  
286. Stranded Wire  
287. Street light fittings  
288. Student Microscope  
289. Studs (excluding high tensile)  
290. Surgical Gloves (Except Plastic)  
291. Table knives (Excluding Cutlery)  
292. Tack Metallic  
293. Taps  
294. Tarpaulins  
295. Teak fabricated round blocks  
296. Teat Poles  
297. Tentage Civil/Military & Selitah Jute for Tentage  
298. Textiles manufacturers other than N.E.C. (not elsewhere classified)  
299. Tiles  
300. Tin Boxes for postage stamp  
301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (either than can O.T.S.)  
302. Tin Mess  
303. Tip Boots  
304. Toggle Switches  
305. Toilet Rolls  
306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)  
307. Transistor Radio upto 3 band  
308. Transistorised Insulation - Testers  
309. Trays  
310. Trays for postal use  
311. Trolley  
312. Trolleys - drinking water  
313. Tubular Poles  
314. Tyres & Tubes (Cycles)  
315. Umbrellas  
316. Utensils all types  
317. Valves Metallic  
318. Varnish Black Japan  
319. Voltage Stabilisers including C.V.T's.  
320. Washers all types  
321. Water Proof Covers

संख्या-352 / 18-2-2011-4(एस०पी०) / 2010

**प्रेषक**

सत्यजीत ठाकुर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में**

- 1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,  
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

### लघु उद्योग अनुबन्ध-2

तारिख: दिनांक: ३। मार्च, 2011

**विषय:-** दर अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

**महोदय:**

प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती है। पूर्व में मात्रा अनुबन्ध का कार्य भी उद्योग निदेशालय द्वारा किया जाता था किन्तु शासनादेश संख्या-2177 एल/18-7-94-15(एसपी)/92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994, एवं शासनादेश संख्या-708/18-5-98-15(एसपी)/92, दिनांक 03 जनवरी, 1999 द्वारा इसे विकेन्द्रीयकृत कर यह कार्य सभी विभागों को दे दिया गया है, केवल शासन के गृह विभाग के संबंध में यह व्यवस्था है कि यदि वह चाहे तो किसी वस्तु विशेष का मात्रा अनुबन्ध स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं अथवा चाहें तो उद्योग निदेशालय से अनुरोध कर मात्रा अनुबन्ध वी कार्यवाही करा सकते हैं।

2- उद्योग निदेशालय के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती रही है, उसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गयी है। दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के जो नमूने लिये जाते हैं, वे केवल उद्योग निदेशालय तथा आपूर्तिकर्ता स्तर पर सुरक्षित होते हैं, जबकि सम्बन्धित वस्तु की आपूर्ति प्रदेशव्यापी स्तर पर विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों को होती है, जिसके नमूने उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की गयी वस्तु, निदेशालय स्थान पर दिये गये नमूने के अनुरूप है अथवा नहीं।

3- अतः प्रदेश की काय प्रक्रिया में विजनेस प्रोसेस, ए-इंटीनियरिंग, चैंज मैनेजमेंट तथा प्रोविडरमेंट रिफार्मेंस को सुनिश्चित करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रभावी दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सभी प्रकार की दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध सभी राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि वह राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

- 4— वर्तमान में दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय रत्तर पर जो दर अनुबन्ध किये गये हैं, उन्हें उगकी वैधता अवधि तक यथावत रखा जायेगा एवं भविष्य में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में भी दर अनुबन्ध की कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जायेगी।
- 5— भण्डार कद्य नियमों में यथा—आवश्यक संशोधन अलग से किये जायेंगे।
- 6— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—एफ ए-1-87 / दस-2011, दिनांक 28 भार्च, 2011 में प्राप्त उन्होंने सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( सत्यजीत ठाकुर )

प्रमुख सचिव।

संख्या—352(1) / 18-2-2011-4(एसपी) / 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं छक्कारी)—प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट)—प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2— प्रमुख सचिव, श्री राजसभाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
- 3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 5— गार्ड फाइल।

आज्ञा से

—८४८२  
( दया शक्ति सिंह )

अनु सचिव।